v/;k; 4 & Mhvk,Q }kjk uhfr dk dk;kZUo;u

4-1 jktlgk;rk dk ifjgk;Z Hkqxrku

एनबीएस नीति के अनुसार, आईएमसी द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व डीओएफ द्वारा निर्णय हेतु 'एन','पी','के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक तत्व राजसहायता अनुशंसित करना था। आईएमसी ने निर्णय (अगस्त 2010) लिया कि 2011–12 के लिए एनबीएस दरें, उपलब्धता एवं समय पर आपूर्ति हेतु नवम्बर 2010 में अनुशंसित की जाएँगी।

आईएमसी द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क मूल्य[19] के आधार पर 2011–12 के लिए नवम्बर 2010 में डीएपी के यूएस$ 450 सीएफआर[20] प्रति एमटी (पीएमटी) के बेंचमार्क मूल्य के आधार पर डीओएफ ने डीएपी की एनबीएस दर निर्धारित की। हालाँकि, उर्वरक कम्पनियों ने 10 फरवरी तक डीएपी के आयात के लिये संविदा नहीं किये थे। डीओएफ की उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 10 फरवरी 2011 को एक बैठक हुई जिसमें उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर बेंचमार्क मूल्यों पर पुनर्विचार के लिए सुझाव दिया। आईएमसी ने सुझाव पर विचार करते हुए, फरवरी 2011 में महसूस किया कि असाधारण परिस्थिति एवं बेंचमार्क मूल्यों पर पुनर्विचार की आवश्यकता के कारण, जीओएम मुद्दे पर विचार कर सकती है तथा उपयुक्त निर्देश दे सकती है। जीओएम ने यूएस$ 580 पीएमटी की बढ़ायी गई दर को 15 फरवरी 2011 को अनुमोदित किया तथा डीओएफ ने इन संशोधित दरों को 9 मार्च 2011 को अधिसूचित किया। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय दरों तथा उपरोक्त अधिसूचित दरों में बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए, उर्वरक उद्योग ने डीओएफ से पुनः 28 मार्च 2011 को बेंचमार्क मूल्य को संशोधित करने का अनुरोध किया। आईएमसी ने 30 मार्च 2011 को हुई अपनी बैठक में, अभिलेख पर लाया कि मैसर्स जुआरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ओसीपी, मोरक्को के साथ डीएपी के आयात हेतु यूएस$ 612 सीएफआर पीएमटी की दर से संविदा को अंतिम रूप दे चुकी थी। विचार–विमर्श के बाद, आईएमसी ने यूएस$ 612 पीएमटी की दर से डीएपी की दर को अनुमोदित किया। कैबिनेट ने पुनः संशोधित दरों को 28 अप्रैल 2011 को अनुमोदित किया तथा डीओएफ ने इसको 2011–2012 के लिए 5 मई 2011 को अधिसूचित किया। बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण तथा राजसहायता पर इसका प्रभाव तालिका 7 में दर्शाया गया है:–

rkfydk 7 % 2011&12 ds fy, Mh,ih ds csapekdZ eY;ksa dh xfr'khyrk

vkbZ,elh cSBd dh frfFk	,uch,l njksa dh vf/klwpuk dh frfFk	Mh,ih ¼csapekdZ eY;½ ;w,l$ lh,Qvkj ih,eVh½	Mh,ih ds fy, jktlgk;rk ¼ih,eVh ₹ esa½
8 uoEcj 2010	19 नवम्बर 2010	450	12960
14 Qjojh 2011[21]	9 मार्च 2011	580	18474
30 ekpZ 2011	5 मई 2011	612	19763

---

19 बेंचमार्क मूल्य से तात्पर्य है राजसहायता दरों के निर्धारण के लिए विचार की गई कीमत/प्रारंभिक बेंचमार्क कीमत गत एक वर्ष (अक्तूबर 2009 से सितंबर 2010) तक या गत छह महीनों अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक) जो भी कम हो की भारित औसत कीमत पर आधारित थी।

20 सीएफआर–लागत और मालभाड़ा

21 5वीं आईएमसी बैठक 11 और 14 फरवरी 2011 को की गई

नवम्बर 2010 में डीएपी का अनुशंसित बेंचमार्क मूल्य यूएस$ 450 पीएमटी था। यह अभिलिखित रूप से पिछले एक वर्ष या छः महीने के उर्वरकों के भार के अनुसार औसत मूल्यों, में से जो कम हो, पर आधारित था, 2011–12 हेतु डीएपी की एनबीएस दर, जो यूएस$ 450 पीएमटी के बेंचमार्क मूल्य पर आधारित थी, 19 नवम्बर 2010 को अधिसूचित की गई।

अधिकतर उर्वरक कम्पनियाँ मई 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान यूएस$ 495 पीएमटी से लेकर यूएस$ 498 पीएमटी तक की दरों पर डीएपी का आयात/प्राप्त कर रही थीं। स्पष्टतः, उर्वरक कम्पनियों में से कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक कम्पनियों के साथ संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दे सकी क्योंकि डीएपी के लिए राजसहायता के निर्धारण हेतु ली गई बेंचमार्क दर तत्कालीन आयात/क्रय की दरों से कम थी।

डीओएफ व उर्वरक उद्योग के मध्य फरवरी से मार्च 2011 के दौरान कई बार वार्ताएं हुईं। इसी अवधि के दौरान डीएपी के लैण्डेड मूल्य में वृद्धि हो गई। अन्ततोगत्वा, मई 2011 में डीओएफ ने 2011–12 के लिए डीएपी की राजसहायता को निश्चित करने हेतु बेंचमार्क मूल्य यूएस$ 612 पीएमटी की दर से अधिसूचित किया। यह प्रारम्भ में निर्धारित की गई बेंचमार्क दर से 35 प्रतिशत अधिक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएपी की तत्कालीन प्राप्ति दरों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी/डीओएफ द्वारा बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के कारण उर्वरक कम्पनियाँ ऐसी अधिसूचना[22] के तुरन्त बाद अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबन्धों को अन्तिम रूप देने में समर्थ हो पाती। नवम्बर 2010 में बेंचमार्क दर का निर्धारण उचित स्तर पर न होने से भारत सरकार ने ₹5555[23] करोड़ ¼vuqyXud V½ की राजसहायता बचाने का अवसर खो दिया।

डीओएफ ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि 19 नवम्बर 2010 को घोषित पीएण्डके उर्वरक की राजसहायता दरें बहुत से कारकों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी द्वारा निर्धारित की गई थी। तथापि, यह रिपोर्ट किया गया कि कोई भी कम्पनी फरवरी मध्य तक वैश्विक स्तर पर उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण 2011–12 के लिए आयात संविदा को अंतिम रूप नहीं दे पायी। उद्योग ने डीओएफ से एनबीएस दरों पर पुनर्विचार करने तथा बेंचमार्क मूल्यों को ऊपर की ओर संशोधित करने अथवा एमआरपी में समायोजन की अनुमति देने का आग्रह किया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए बेंचमार्क मूल्यों को ऊपर की ओर संशोधित करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार कैबिनेट की संस्तुति पर एनबीएस दरों को दो बार संशोधित किया गया। डीओएफ का मत था (अक्तूबर 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्तियां काल्पनिक निष्कर्ष थी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के चलन के वास्तविक विश्लेषण पर आधारित नहीं थी। बहुत से कारक, साथ मिलकर अथवा अलग–अलग, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावित करते हैं। भारत पीएण्डके उर्वरकों का विश्व में बड़ा आयातक होने के कारण, फॉस्फेट और पोटाश के बड़े उत्पादकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं के कॉर्टलाइजेशन का भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। देश में इन्वेंटरी स्तरों की पर्याप्त उपलब्धता, अच्छी मानसून अवस्थाएँ, उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धता आदि भी पीएण्डके उर्वरकों के आयात मूल्य को प्रभावित करते हैं। अतः लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के संविदा को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप बेंचमार्क दरें ऊँची दरों पर निश्चित की गई तथा अतिरिक्त राजसहायता भार पड़ा ठीक नहीं था। इसके अतिरिक्त एनबीएस दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रियात्मक आवश्यकतायें जैसे की अंतर मंत्रालयी

---

[22] उर्वरक कम्पनियों ने दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक यूएस$ 497 में यूएस$ 500 पीएमटी के औसत दर से डीएपी आयात किया। मार्च 2011 में खरीद नहीं हुई।

[23] वास्तव में अदा की गयी राजसहायता की तुलना उस राजसहायता से जो तब अदा की जाती यदि बेंचमार्क मूल्य यूएस$ 500 सीएफआर पीएमटी पर निर्धारित किया जाता (यूएस$ 500 के बेंचमार्क मूल्य पर राजसहायता आंकलन करने के लिए विचारित किए गए घटक अनुलग्नक V में दिये गए हैं) के मिलान से राजसहायता के प्रभाव का आंकलन किया है।

सलाह, कैबिनेट द्वारा विचार आदि ने भी इन देरियों में योगदान दिया। डीओएफ ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियाँ जताते समय देश में उर्वरकों की उपलब्धता का विश्लेषण नहीं किया है। पीएण्डके उर्वरकों के आयात हेतु कम्पनियों द्वारा संविदा किये जाने में असफलता से देश में उर्वरकों की कमी हो जायेगी क्योंकि अधिकांश पीएण्डके उर्वरक आयातित थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा ने आयातों के लिए संविदा न किये जाने के कारणों के विवरण का विश्लेषण नहीं किया था। आईएमसी ने एनबीएस दरों के संशोधन की अनुशंसा करने से पहले इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया था और इस कारण राजसहायता की कोई हानि अथवा राजसहायता का अधिक भुगतान नहीं हुआ था।

डीओएफ के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के विपरीत देखने की आवश्यकता है:

- नवम्बर 2010 में, आईएमसी ने बेंचमार्क मूल्य (i) पिछले एक वर्ष (अक्तूबर 2009–सितम्बर 2010) या (ii) पिछले छः माहों, अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 के भारित औसत मूल्यों में से जो भी कम हो के आधार पर अनुशंसित किए। पिछले वर्ष के दौरान भारित औसत मूल्य यूएस$ 449.73 पीएमटी और पिछले छः माह के दौरान यूएस$ 499.58 पीएमटी था। अतः आईएमसी ने 2011–12 के लिए यूएस$ 450 पीएमटी की दर (जो कि दोनों में से कम था) से डीएपी के बेंचमार्क मूल्य की अनुशंसा की, जिसे उर्वरक विभाग द्वारा 19 नवम्बर 2010 में अधिसूचित किया गया। जैसाकि डीओएफ द्वारा कहा गया, उर्वरकों के वैश्विक मूल्य बढ़ रहे थे। मूल्यों के बढ़ते समय, में पिछले एक वर्ष या पिछले छः महीने के भारित औसत मूल्य में से कम के मापदण्ड से पिछले एक वर्ष के भारित औसत मूल्य के बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण हुआ जिसने उस समय प्रचलित मूल्य की उपेक्षा की। डीओएफ द्वारा बढ़ते मूल्य के प्रभाव पर विचार नहीं किये जाने के कारण 2011–12 के लिये डीएपी का बेंचमार्क मूल्य प्रचलित मूल्य की तुलना में कम पर निर्धारित हुआ तथा उर्वरक कम्पनियाँ डीएपी के आयात के लिये संविदा नहीं कर सकी।
- दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य यूएस$ 497 पीएमटी से यूएस$ 500 पीएमटी तक थे।
- जहां तक डीओएफ का दावा कि आयात के लिये संविदा न किये जाने के कारणों के विस्तार में लेखापरीक्षा नहीं गया, यह देखा गया कि सचिव (उर्वरक) और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच 10 फरवरी 2011 को हुई सभा में उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि 2011–12 के लिए नवम्बर 2010 में घोषित बेंचमार्क मूल्य उर्वरकों/उर्वरक निवेश के बढ़ते मूल्यों के कारण अपर्याप्त साबित हुए।
- लेखापरीक्षा का यह मत है कि बेंचमार्क मूल्य के नवम्बर 2010 में अतार्किक स्तर पर निर्धारण के कारण संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी हुई और जब तक संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा सका (मार्च 2011 के अन्त तक) अन्तर्राष्ट्रीय आयात मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई।

अतः तथ्य यह है कि बेंचमार्क मूल्य के अतार्किक स्तर पर निर्धारण से संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी हुई तथा परिणामस्वरूप भारत सरकार पर ₹5555 करोड़ अतिरिक्त राजसहायता का बोझ पड़ा।

vuq'kalk 5 % डीओएफ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव या गति का ध्यान रखे जो उर्वरक कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के साथ समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्ति के लिये संविदा करने में सक्षम बना सके।

4-2 yfEcr ikQkekZ ^ch*

एनबीएस के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) के लिए राजसहायता के भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार डीओएफ पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को 'ऑन अकाउंट' 85 प्रतिशत (90 प्रतिशत बैंक गारंटी के साथ) राजसहायता भुगतान जिलों/राज्यों में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर निर्गत करता है। उत्पादक/आयातक 'ऑन अकाउंट' भुगतान का दावा कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा 'ए' में करते हैं। उर्वरक कम्पनियों द्वारा राजसहायता के शेष भुगतान (10–15 प्रतिशत) भी कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा 'डी' के आधार पर दावा किया गया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा डीओएफ को निर्धारित प्रोफार्मा 'बी' में उर्वरक की प्राप्ति का प्रमाण पत्र देना आवश्यक था।

25 अक्तूबर 2012 को मोबाइल उर्वरक निगरानी प्रणाली (एम–एफएमएस) के प्रारंभ के साथ शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा एम–एफएमएस पर मात्रा के प्रमाणन पर निर्गत किया जाएगा। मात्रा का प्रमाणन प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर दिया जायेगा, अन्यथा इसे प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। गुणवत्ता का राज्यों द्वारा प्रमाणन 180 दिनों के अन्दर दिया जाएगा। गुणवत्ता व मात्रा के संदर्भ में इन प्रमाण पत्रों को क्रमशः प्रोफार्मा 'बी1' व 'बी2' में दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 31 अक्तूबर 2014 तक पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में 4112 प्रोफार्मा 'बी' 2007–08 से 2013–14 की अवधि के लिए लम्बित थे। इनमें से 213 प्रोफार्मा 'बी' 'रियायत योजना' से संबंधित थे जबकि शेष 3899 एनबीएस योजना के कार्यान्वयन की अवधि से संबंधित थे। वर्ष–वार विवरण तालिका 8 में उल्लिखित हैः

rkfydk 8 % yfEcr ikQkekZ ^ch*

(₹ करोड़ में)

vof/k	o"kZ	cdk;k ikQkekZ ^ch* dh la[;k
,uch,l ls iwoZ	2007–08	91
	2008–09	98
	2009–10	24
	;ksx	213
,uch,l dk nkSjku	2010–11	59
	2011–12	268
	2012–13	1079
	2013–14	2493
	;ksx	3899
	dqy ;ksx	4112

वर्ष 2012–13 (पन्द्रहवीं लोकसभा) की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा पर 81 वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की कि ''समस्या का आकार और अनाचारों के कारण राजसहायता भार के अन्तर्निहित परिणामों की दृष्टि में यह अत्यावश्यक है कि वास्तविक समय सूचना/डाटा पर आधारित निवारक दण्डात्मक/वित्तीय दण्ड के कठोर प्रवर्तन के साथ कठोर सत्यापन जाँच

पद्धति का प्रावधान किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि डीओएफ अधिक सख्त निगरानी प्रणाली और निरीक्षण पद्धति जिसमें भण्डार/बिक्री के प्रमाणन की सुस्पष्ट प्रक्रिया हो, के साथ आये जिससे कि चोरी, विचलन और राजसहायता उर्वरकों के निःसरण के भय को रोका जा सके।''

डीओएफ ने अपने उत्तर में कहा (अक्तूबर 2014) कि जारी की गई संशोधित प्रक्रिया के (परिपत्र सख्या एफ. नम्बर डी(एफ.ए0)/सी.सी.ई./2011 दिनांक 25 अक्तूबर 2012 के अनुसार, शेष 10–15 प्रतिशत मात्रा का दावा राज्य सरकार द्वारा एम–एफएमएस के माध्यम से प्रमाणन तथा खुदरा व्यापरियों द्वारा एम–एफएमएस के माध्यम से उर्वरक प्राप्ति की पुष्टि की शर्तों के पूर्ण होने पर निर्गत किया जायेगा। राज्यों द्वारा मात्रा का प्रमाणन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर दिया जाएगा अन्यथा इसे प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। राज्य द्वारा गुणवत्ता का प्रमाणन प्राप्ति के 180 दिनों के अन्दर दिया जाएगा। यद्यपि मात्रा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ मान लिया गया था (यदि 30 दिन में प्राप्त नहीं हुआ) गुणवत्ता प्रमाणपत्र शेष दावे के भुगतान के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने राज्यों में प्राप्त मात्रा को प्रमाणित करते हुए एफएमएस पर प्रोफार्मा 'बी' अपलोड करना जारी रखा। डीओएफ नियमित रूप से राज्य सरकारों को प्रोफार्मा 'बी' को प्रस्तुत करने हेतु कहती रही। जब भी राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा 'बी' के माध्यम से मात्रा में कमी सूचित की जाती थी, डीओएफ दण्ड ब्याज के साथ उस मात्रा पर राजसहायता की वसूली किया करता था।

तथ्य यह है कि डीओएफ को प्रोफार्मा 'बी' के लंबे विलम्बन के मुद्दे पर ध्यान देने तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये समयबद्ध कार्य नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक किये गये उपायों ने संतोषजनक परिणाम नहीं दिये हैं।

vuq'kalk 6 % डीओएफ प्रोफार्मा 'बी' की प्राप्ति तथा विलम्बन की विद्यमान निगरानी व्यवस्था की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करें तथा इस मुद्दे की तात्कालिकता/अनिवार्यता की भावना लाने के लिये तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर स्थिति की आवधिक समीक्षा करने पर विचार करे।

4-3 ,l,lih dk fy, ,deq'r ekyHkkMk jkt lgk;rk ij ₹25-74 djksM+ dk vf/kd Hkqxrku

सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) एक स्थानीय उर्वरक है, जो कि देश में ही लघु उद्योगों द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित किया जाता है। जहाँ पर एसएसपी उत्पादन इकाइयाँ स्थित है, इसे उसके आस–पास के राज्यों मे विक्रय किया जाता है। जबकि पीएण्डके उर्वरक प्राथमिक मालभाड़े (रेल मालभाड़ा और/अथवा डाइरेक्ट रोड मूवमेन्ट) के लिए योग्य थी, किन्तु एसएसपी के लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं था।

वर्ष 2010–11 के लिए एनबीएस के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों की प्रारंभिक दरें आईएमसी द्वारा मार्च 2010 में इसकी प्रथम बैठक में अनुशंसित की गई थी तथा डीओएफ द्वारा इन्हें 1 अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया गया था। एसएसपी को एनबीएस नीति में 1 मई 2010 से शामिल किया गया। 19 अगस्त 2010 को हुई दूसरी बैठक में, आईएमसी को सूचित किया गया कि उर्वरकों के द्वितीयक परिचालन (द्वितीयक मालभाड़ा) हेतु माल भाड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए डीएपी तथा एमओपी की एनबीएस लागत की गणना के अंश के रूप में ₹300 पीएमटी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार, द्वितीयक मालभाड़ा एनबीएस लागत में सम्मिलित हो गया। यद्यपि 8 नवम्बर 2010 को हुई तीसरी बैठक में द्वितीयक मालभाड़े के विषय पर चर्चा करते समय, आईएमसी ने निष्कर्ष निकाला कि एनबीएस लागत की गणना के अंश के रूप में द्वितीयक मालभाड़े के लिए जोड़ा गया ₹300 पीएमटी एक असंगति प्रतीत होती है

क्योंकि इसने उक्त भाड़ा को फार्म गेट तक पहुँचाने में सहायता प्रदान नहीं की थी और इस कारण इसे एनबीएस दरों से बाहर कर देना चाहिए। अतः आईएमसी ने जनवरी 2011 से वर्ष 2010–11 के लिए सभी पीएण्डके उर्वरकों हेतु इस सीमा तक एनबीएस दरों को कम करने की अनुशंसा की। आईएमसी ने निष्कर्ष निकाला कि इस समाप्ति का एसएसपी के संबंध में राजसहायता पर ₹104 पीएमटी का प्रभाव पड़ता। आगे, आईएमसी ने अनुशंसा की कि 'चूँकि एसएसपी के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी मालभाड़े का भुगतान नहीं किया गया है, अतः मालभाड़े के रूप में उत्पादकों को 1 जनवरी 2011 से एकमुश्त ₹200 पीएमटी का भुगतान किया जाए।'

इसके अनुपालन में, डीओएफ ने दिसम्बर 2010 में, एसएसपी के लिए ₹200 पीएमटी का एकमुश्त माल भाड़े के भुगतान की अधिसूचना जारी की, यद्यपि इस भुगतान के विषय में कैबिनेट से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। इसी दौरान, 1 अप्रैल 2011 से, डीओएफ ने आईएमसी की अनुशंसा पर एसएसपी के एमआरपी पर प्रतिबन्ध को वापिस ले लिया तथा एसएसपी उत्पादकों/विक्रेताओं को स्वयं एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई।

6 जून 2011 को डीओएफ ने ₹200 पीएमटी की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता प्रदान करने के लिए पूर्व प्रभाव से अनुमति प्राप्त करने हेतु सीसीईए के लिए एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया तथा इसे डीओई तथा अन्य विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया (7 जून 2011)। डीओई ने दिनांक 22 जून 2011 और 23 अगस्त 2011 के अपने नोट के माध्यम से प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया। डीओएफ ने 2 सितम्बर 2011 को डीओई के समक्ष पुनः यह कहते हुए आवेदन किया कि ₹200 पीएमटी की मालभाड़ा राजसहायता एसएसपी उद्योग को एनबीएस लागत में ₹104 पीएमटी की समाप्ति के स्थान पर प्रदान की गई थी और ₹200 पीएमटी के भुगतान को बन्द करने की बजाय ₹96 पीएमटी जो कि ₹104 के अतिरिक्त है, को रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त, डीओएफ ने डीओई से इस अधिक भुगतान की वसूली के लिए प्रभावी तिथि का सुझाव देने का निवेदन किया। उत्तर में डीओई ने 8 दिसम्बर 2011 को अपना पूर्व मत यह कहते हुए दोहराया कि ''इस विभाग का सुविचारित मत है कि 1 अप्रैल 2011 यानि कि उस दिन जब से एसएसपी के एमआरपी को नियन्त्रणमुक्त कर दिया गया था, और राजसहायता को ₹4296 पीएमटी से बढ़ाकर ₹5359 पीएमटी कर दिया गया था से एसएमपी पर किसी प्रकार की मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।'' इस दौरान, डीओएफ ने अगस्त 2011 में एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता का निलम्बन कर दिया।

इस विषय पर 23 दिसम्बर 2011 को हुई आईएमसी की नवीं बैठक में पुनः विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि चूँकि डीओएफ ने अगस्त 2011 में एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता के निलम्बन की घोषणा की थी, अतः अगस्त 2011 तक हुई एसएसपी की बिक्री पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान किया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार एक ड्राफ्ट सीसीईए नोट तैयार किया गया तथा 30 मार्च 2012 को परिचालित किया गया। डीओई ने एसएसपी के लिए किसी भी प्रकार की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान के प्रस्ताव को पूर्व में तीन बार अस्वीकृत करने के बावजूद, डीओएफ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात्, 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक एसएसपी को 200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान के लिए कैबिनेट ने पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसएसपी के लिए एनबीएस नीति के प्रारंभ से पहले, एसएसपी के संचालन के लिए कोई भी मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसका कारण यह बताया गया कि एसएसपी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मूलतः एक स्थानीय उत्पाद है फिर भी बड़े पीएण्डके/यूरिया उर्वरक उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस उत्पाद के विपणन के पश्चात् एसएसपी का एक राज्य से दूसरे में स्थानांतरण शुरू हो गया था।

इसके परिणामस्वरूप, एनबीएस नीति में, एसएसपी को द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता के योग्य बनाया गया। एसएसपी के एनबीएस दरों में शामिल द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता का अंश ₹104 पीएमटी था जिसका मई 2010 से दिसम्बर 2010 तक भुगतान किया गया। जबकि, एनबीएस नीति से द्वितीयक मालभाड़ा अंश के निकाले जाने के बाद, आईएमसी की सिफारिश पर एक एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता ₹200 पीएमटी की दर से एमएसपी के लिए प्रारम्भ किया गया।

लेखापरीक्षा ने अनुभव किया कि जब द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता को हटाने का असर केवल ₹104 पीएमटी था, तो ₹96 पीएमटी (₹200–₹104) का अतिरिक्त भुगतान करना न्यायसंगत नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ₹25.74[24] करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

डीओएफ ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में कहा किः

- एसएसपी मालभाड़ा के मामले में हमेशा ही पीएण्डके उर्वरकों से अलग समझा गया था। जबकि पीएण्डके उर्वरक प्राथमिक मालभाड़ा और डाइरेक्ट रोड मूवमेन्ट के मालभाड़ा के योग्य थे, एसएसपी जो कि लघु उद्योग द्वारा देश में ही स्वदेशी रूप से तैयार की जाती थी, के लिए प्राथमिक मालभाड़ा की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रारम्भ में, पीएण्डके उर्वरकों में एसएसपी को शामिल करते हुए, के लिए राजसहायता के निर्धारण में द्वितीयक मालभाड़ा शामिल किया गया। जब यह आईएमसी के ध्यान में लाया गया कि द्वितीयक मालभाड़ा का अंश किसानों तक कटौती किए गए मूल्य के रूप में पहुंच नहीं पा रहा है, तब आईएमसी ने द्वितीयक मालभाड़ा अंश को एनबीएस दरों से निकालने का निर्णय लिया। इसके अनुसार ही, एनबीएस की दरों को 1 जनवरी 2011 से द्वितीयक मालभाड़ा अंश को निकाल कर ठीक किया गया लेकिन प्राथमिक मालभाड़ा और द्वितीयक मालभाड़ा का भुगतान एकरूप मालभाड़ा नीति जो कि एसएसपी को छोड़कर सभी पीएण्डके उर्वरकों तथा यूरिया पर लागू थी, पर किया गया। परिणामस्वरूप एनबीएस दरों पर एसएसपी के लिए उपलब्ध द्वितीयक मालभाड़ा को वापिस ले लिया गया।

- यद्यपि, एसएसपी को किसी प्राथमिक मालभाड़े का भुगतान नहीं हो रहा था और द्वितीयक मालभाड़े को भी 1 जनवरी 2011 से वापिस ले लिया गया; आईएमसी ने 1 जनवरी 2011 से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मालभाड़े के स्थान पर ₹200 पीएमटी के एकमुश्त मालभाड़े की अनुषंसा की, न कि एनबीएस गणना से हटाए गए द्वितीयक मालभाड़े के स्थान पर। 1 अप्रैल 2011 से एसएसपी के मूल्यों के विनियंत्रण के बाद भी, इस ₹200 पीएमटी की एकमुश्त राजसहायता का भुगतान संयंत्र से रेक प्वाईटों और फिर जिला मुख्यालयों (डीलर बिन्दुओं) तक एसएसपी के परिचालन की प्रतिपूर्ति के लिये जारी रहा। चूँकि ₹200 पीएमटी की एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता 1 जनवरी 2011 से एनबीएस दरों की गणना से हटाए गए द्वितीयक मालभाड़े के स्थान पर नहीं थी, इसलिए सरकार को न तो अतिरिक्त राजसहायता का भार पड़ा न ही मालभाड़ा व्यय का नुकसान हुआ। मालभाड़ा दरों के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के संबंध में, यद्यपि डीओएफ राजसहायता दरों को तय करने हेतु निर्णय लेने में सक्षम था, किन्तु मालभाड़ा राजसहायता दरों के मामले में, विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया। चूँकि एसएसपी पर एकमुश्त मालभाड़े के प्रस्ताव पर सीसीईए की स्वीकृति पूर्व प्रभाव से थी, इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की असहमति का कोई कारण नहीं था। इस मामले में निर्णय लेने में कोई देरी भी नहीं थी।

[24] ₹96 X 2680767.88 एमटी जो कि 1 जनवरी 2011 से 31अगस्त 2011 की अवधि में बेची गयी एसएसपी की मात्रा है।

- डीओएफ ने समापन सम्मेलन के दौरान कहा (नवम्बर 2014) कि 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक एसएसपी के संचालन के लिए ₹200 पीएमटी एकमुश्त मालभाड़ा अनुमोदित किया गया, वह 1 जनवरी 2011 से एनबीएस दर की गणना से समाप्त किये गये द्वितीयक मालभाड़ा के घटक के स्थान पर नहीं था। एनबीएस दरों की गणना से द्वितीयक मालभाड़ा अंश को 1 जनवरी 2011 से निकालने के पश्चात्, द्वितीयक मालभाड़ा सभी पीएण्डके उर्वरकों को एसएसपी के अलावा, एकरूप मालभाड़ा राजसहायता नीति के तहत दिया गया। विभाग ने एसएसपी पर जनवरी से अगस्त 2011 तक मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान हेतु कैबिनेट की अनुमति ले ली थी। व्यय विभाग जबकि प्रारंभ में इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ, किन्तु बाद में प्रस्ताव के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर अन्तर मंत्रालयी सलाह के दौरान इस प्रस्ताव पर राजी हो गया।

डीओएफ के उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:

- आईएमसी ने ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता की सिफारिश की, जबकि द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता अंश को एसएसपी के वर्तमान राजसहायता से निकालने का प्रभाव केवल ₹104 पीएमटी था। इसके अतिरिक्त, डीओएफ का इस संदर्भ में विचार था कि मालभाड़ा राजसहायता द्वितीयक मालभाड़ा के स्थान पर नहीं था, यह पाया गया कि डीओएफ ने ₹96 पीएमटी के दर से की जाने वाली वसूली की तिथि पर डीओई के (सितम्बर 2011) विचार लेते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि राजसहायता द्वितीयक मालभाड़ा को हटाने के स्थान पर है।
- इसके अतिरिक्त एसएसपी पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता केवल आठ माह अर्थात 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 तक दी गई थी, जिसके लिए डीओएफ ने सीसीईए की पूर्व प्रभाव स्वीकृति 3 जुलाई 2012 को ली थी। सीसीईए द्वारा उपरोक्त भुगतान की अनुमति दिये जाने के कई कारणों में एक था कि एकमुश्त मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान एसएसपी उद्योग को 31 अगस्त 2011 तक पहले ही किया जा चुका था।
- इसके अतिरिक्त, अगस्त 2011 से स्वयं ही मालभाड़ा राजसहायता की समाप्ति (द्वितीयक मालभाड़ा अन्य एनपीके उर्वरकों के संबंध में अप्रैल 2012 से वापस लिया गया था) तथा उसके पश्चात् एसएसपी को प्राथमिक भाड़ा के लिये कोई भुगतान न करना इस तथ्य को इंगित करता है कि ₹104 पीएमटी के स्थान पर ₹200 पीएमटी की दर से एकमुश्त भुगतान करने का कोई सही आधार नहीं था और इसलिए डीओएफ का उत्तर बाद में किए गए सोच विचार जैसा प्रतीत होता है।

4-4 ih,.Md mRiknd dEifu;k }kjk lLrh ?kjsyw@,ih,e ¼iz'kklfud eY;kdu r=½ xSl ds iz;ksx dk dkj.k gq, ykHk dh olwyh ugha djuk

नाइट्रोजन ('एन') एक एनपीके पोषक तत्व है, जो सीधे तौर पर अमोनिया से निकलता है और कुछ मामलों में यह आयतित उर्वरकों मुख्यतः यूरिया और डीएपी से निकाला जाता है।

डीओएफ ने पाया (सितंबर 2010) कि मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के प्रयोग हेतु सस्ती घरेलू/एपीएम गैस के प्रयोग से तैयार किया स्वदेशी अमोनिया कम्पनियों के लिए आयातित अमोनिया से अपेक्षाकृत सस्ती कीमत का था। तीन कम्पनियाँ जिनका नाम राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ), दीपक फर्टिलाइज़र्स एवं पैट्रोकेमिकलस कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएफसीएल) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एवं केमिकल्स कम्पनी (जीएसएफसी) एपीएम/घरेलू गैस का प्रयोग कर रहीं थीं।

एनबीएस नीति के अंतर्गत, स्थिर राजसहायता वार्षिक आधार पर घोषित की गई, जो अमोनिया के उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के प्रयोग पर आधारित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को मुक्त किया गया और उत्पादकों/आयातकों को उचित स्तर पर एमआरपी को निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इसीलिए, उन उत्पादकों जिन्होंने पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा आवंटित सस्ती घरेलू गैस का प्रयोग किया, को अनुचित लाभ मिला, क्योंकि उनके द्वारा तैयार एनपीके उर्वरकों का एमआरपी अन्य उत्पादकों, जो आयतित अमोनिया का प्रयोग कर रहे थे, के बराबर था।

इसलिए, एमओपीएनजी ने (दिसम्बर 2011) पीएण्डके उर्वरक संयंत्रों को केजीडी 6 गैस की आपूर्ति बन्द करने और इसे केवल यूरिया संयंत्रों को जारी रखने का प्रस्ताव दिया क्योंकि इसका भारत सरकार की राजसहायता भुगतान पर प्रभाव पड़ रहा था। डीओएफ ने यद्यपि इन संयंत्रों को आपूर्ति जारी रखने का सुझाव दिया एवं आश्वासन दिया कि उन उर्वरक इकाइयों जो यूरिया के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद उत्पादित कर रही थी, से वसूली के लिए आयातित अमोनिया या किसी अन्य बेंचमार्क से मूल्य के अन्तर के आधार पर, विशेष मार्गदर्शिकाएँ तैयार की जाएँगी।

अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने अपनी बैठक में जोकि 24 फरवरी 2012 को हुई, एमओपीएनजी के प्रस्ताव के साथ डीओएफ के सुझावों पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि पीएण्डके संयंत्र जो सस्ती गैस प्रयोग कर रहे थे, (आरसीएफ, डीएफसीएल और जीएसएफसी) को केजीडी 6 गैस की आपूर्ति को स्थगित करने व साथ ही भविष्य में केवल यूरिया संयंत्र को आपूर्ति सीमित करने के प्रस्तावों पर 24 मई 2012 तक रोक लगाने का निर्णय लिया। इस अवधि में, डीओएफ को उर्वरक कम्पनियों द्वारा सस्ती घरेलू गैस के प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ की वसूली हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना था। डीओएफ ने ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को अप्रैल 2012 में तैयार करने का कार्य शुरू किया। राज्य मंत्री (एमओएस) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने नोट (नवंबर 2013) में यह निर्देश दिया कि दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में देरी को देखते हुए डीओएफ को अस्थाई वसूली प्रारम्भ कर देनी चाहिए। यह निर्देश एमओएस ने दिसंबर 2013 में फिर से दोहराया। इसके अनुसार, 6 जनवरी 2014 को डीओएफ ने उपरोक्त तीन कम्पनियों को वसूली के आदेश जारी किए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि ईजीओएम के फरवरी 2012 के निर्देशों के बावजूद भी, डीओएफ ने ना तो ऐसी वसूली के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए और ना ही कोई अस्थाई वसूली की (नवंबर 2014)। इसके परिणामस्वरूप, इन उर्वरक कम्पनियों को पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लिए सस्ती एपीएम गैस मिलती रही और अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता रहा।

डीओएफ ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि 24 फरवरी 2012 की बैठक में लिए गए, ईजीओएम के निर्देशों पर विभाग ने पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन हेतु सस्ती घरेलू गैस के प्रयोग से डीएफसीएल, जीएसएफसी और आरसीएफ द्वारा 24 मई 2012 से प्राप्त अनुचित लाभों की वसूली हेतु दिशानिर्देशों को अंतिमरूप देने का कार्य शुरू कर दिया है।

डीओएफ ने यह भी सूचित किया कि:

- जीएसएफसी ने दिनांक 6 जनवरी 2014 के डीओएफ के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद से रोक का आदेश ले लिया। डीएफसीएल ने भी डीओएफ आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती दी, लेकिन अभी कोई रोक का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। आरसीएफ ने अभी न्यायालय का रूख नहीं किया है (जुलाई 2014)।

- डीओएफ ने (अक्तूबर 2014) पुनः उत्तर दिया कि यूरिया और पीएण्डके उर्वरक उत्पादन में अमोनिया की मात्रा की गणना में कठिनाई जैसे विभिन्न कारकों के कारण इस मामले को एनबीएस नीति के अन्तर्गत आईएमसी जिसमें एमओपीएनजी तथा विधि मामले विभाग से सदस्य होंगे, को सौंपने का निश्चय किया गया जो इस मामले की विस्तृत जाँच करें और सुझाव प्रस्तुत करें। आईएमसी के सुझाव के पश्चात्, मामले को कैबिनेट के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा। इसी बीच, तीन कम्पनियों में से एक कम्पनी डीएफसीएल को एपीएम गैस आपूर्ति 14 मई 2014 से रोक दी गयी। इस मामले पर आईएमसी की पहली बैठक 16 अक्तूबर 2014 को सम्पन्न हुई।

उत्तर को इन तथ्यों के विरूद्व देखने की आवश्कता है किः

- ईजीओएम के निर्देशों के दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी डीओएफ ने वसूलियों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया, जिस अवधि के दौरान उर्वरक निर्माण करने वाली कम्पनियाँ अतिरिक्त लाभ उठाती रहीं। यद्यपि मई 2014 में डीएफसीएल को दी जाने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति को बंद कर दिया गया, लेकिन जीएसएफसी/आरसीएफ को इस प्रकार की गैस की आपूर्ति जारी (अक्टूबर 2014) रही।
- इसके अतिरिक्त, डीओएफ के आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा इस तथ्य पर जोर दिए जाने के बावजूद कि वसूली को 1 अप्रैल 2010 से किया जाना चाहिए, जो कि एनबीएस नीति के प्रारम्भ होने की तारीख है, डीओएफ 24 मई 2012 से वसूली पर विचार करता रहा, यद्यपि यह तारीख केवल एक लक्षित तारीख है जो ईजीओएम द्वारा डीओएफ को इस प्रकार की वसूलियों को प्रभावी बनाने हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए दी गई थी।

पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया के उत्पादन के लिए अमोनिया के उपयोग पर आँकड़े की अनुपलब्धता के कारण इस वसूली के न होने के वित्तीय प्रभाव को लेखापरीक्षा द्वारा नहीं निकाला जा सका।

4-5 fu;=.keDr ih,.Mds moZjdksa ds lca/k esa ekfld vkiwfrZ ;kstuk ¼,e,lih½

राज्य सरकारों की सलाह से डीएसी द्वारा माह–वार और राज्य–वार उर्वरकों की मांग का अनुमान तथा आंकलन किया जाता है। इसी को डीओएफ को सूचित कर दिया जाता है क्योंकि यह विभाग राज्यों की मांग को उपलब्ध साधनों से पूरा करने के लिए अधिकृत है। उर्वरकों की प्रस्तावित आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीओएफ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/कम्पनियों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए एमएसपी प्रत्येक माह के 25वीं को या उससे पहले, अगले माह के लिए जिसके लिए प्रयोजन किया जा रहा है, तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने जबकि यह पाया कि उर्वरक कम्पनियों के लिए डीओएफ द्वारा तैयार प्रारंभिक एमएसपी माह के शुरू होने से पहले या तो 'शून्य' या अति न्यूनतम मात्रा में निर्धारित करके जारी किए। उर्वरक कम्पनी द्वारा वास्तविक आपूर्ति की मात्रा के आधार पर जोकि आवश्यक रूप से डीओएफ द्वारा आरंभ में नियोजित की गई मात्रा से काफी अधिक थी, नियोजित मात्रा का नियमन इस आधार पर किया गया कि (i) कम्पनियों ने अतिरिक्त उर्वरक का उत्पादन किया, (ii) पत्तन से माल को हटाना पड़ा, (iii) बचे हुआ माल की आपूर्ति की गई, (iv) राज्य सरकार की आवश्यकता, (v) आयातित उर्वरक का पत्तन पर पहुँचना (vi) रेक मात्रा को बनाये रखना तथा (vii) पूर्व एमएसपी के आधार पर की गई आपूर्ति इत्यादि। कुछ मामलों में अधिक मात्रा की राशि बिना कारण निर्धारित किये विनियमित की गई। 101 मामलों में, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान एमएसपी में वर्णित शून्य मात्रा के विरूद्ध 447116 एमटी पीएण्डके

उर्वरक की आपूर्ति/विनियमन किया गया। इस प्रकार के मामलों के उदाहरण जहाँ आरंभिक नियोजित मात्रा को बहुत बढ़ी हुई मात्रा में, उस माह की वास्तविक उर्वरक आपूर्ति के बाद नियमित किया गया, **vuq|yXud VI** में दिए गए हैं। यद्यपि उर्वरक कम्पनियों और डीएसी ने उर्वरक की उपलब्धता और आवश्यकता की पूर्व सूचना डीओएफ को दी, डीओएफ ने वास्तविक एसएसपी का आंकलन क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर नहीं किया।

डीओएफ ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि एमएसपी कम्पनियों द्वारा दिए गए पिछले माह के उत्पादन और आयात के आंकलनों के आधार पर तैयार किया जाता था। इसलिए एमएसपी मूलतः आंकलित प्रेषण की योजना है जो कि माह में अपेक्षित हो सकती है। लेकिन एफएमएस में राजसहायता का भुगतान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। अतः एमएसपी जोकि नियमित किया गया, वह राज्यों के वास्तविक प्राप्ति को दर्शाता है जोकि राज्य की वास्तविक मांग का सही प्रतिबिंब है। इसलिए, क्योंकि आरंभिक एमएसपी, जोकि मूलतः प्रेषण को शामिल करता है, राज्यों में वास्तविक प्राप्ति के आधार पर नियमित करने की सदा आवश्यकता रहेगी। एफसीओ के अनुसार पीएण्डके उर्वरक केवल 20 प्रतिशत तक तथा यूरिया को 50 प्रतिशत तक नियमित किया जा सकता है अतः एमएसपी को समान तौर पर लेने से राज्यों की उपलब्धता पर विपरीत असर होगा। डीओएफ ने फिर उत्तर दिया (मार्च 2015) कि यद्यपि डीएसी ने यह सुनिष्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं कि उर्वरकों के आंकलन की प्रक्रिया ज्यादा तर्कसंगत, वैज्ञानिक और वास्तविक हो, उर्वरकों का वास्तविक उपयोग मौसम विशेष के दौरान जारी उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनके कारण किसानों द्वारा उर्वरकों की वास्तविक मांग बदल जाती है। फील्ड डिस्पैच की आपूर्ति कई घटकों पर निर्भर करती है, इसलिए यह हमेषा एमएसपी से अलग होगी। कम्पनियों के स्टॉक की स्थिति और राज्यों की आवश्यकता के आधार पर डीओएफ द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। आपूर्ति को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। जिलों में किसानों के लिए उर्वरकों की अधिक उपलब्धता हर प्रकार से श्रेष्ठ होती है क्योंकि कमी के कारण कालाबाज़ारी होती है।

डीओएफ का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा गया है कि :

i. आरंभिक एमएसपी आंकलित आपूर्ति पर आधारित था जो उस माह के दौरान संभव हो तथा विनियमित एमएसपी राज्य में प्राप्तियों पर आधारित था। इस प्रकार, इससे यह प्रतीत होता है कि इन दोनों सप्लाई योजनाओं में दर्शाई गई मात्राओं के बीच में कोई समन्वय नहीं था। इसलिये, यदि अग्रिम तौर पर बनाये गये एमएसपी में वर्णित मात्रा से बिना किसी संबंध के उर्वरक कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को विनियमित किया जाना था, तो फिर राज्य की आवश्यकता प्रस्तावित करने के लिए अग्रिम रूप से बनाया गया एमएसपी का उद्देश्य विफल हो जाता है।

ii. उर्वरक कम्पनियां वास्तविक आवश्यकता से अधिक आपूर्ति कर इस पर राजसहायता ले सकने के अवसर (क्योंकि 85 प्रतिशत 'आन अकाउंट' राजसहायता, प्राप्ति के आधार पर गई अर्थात उर्वरक कम्पनियों द्वारा की गई आपूर्ति पर) के तर्क को नकारा नहीं जा सकता।

iii. इसके अतिरिक्त, राज्यों में उर्वरकों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अधिक उपलब्धता के परिदृष्य में, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के गैर कृषि उद्देश्यों में प्रयोग के लिए विपणन के अवसरों और अवैधानिक निर्यातों की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

vuq'kalk 7% डीओएफ एक तंत्र की स्थापना करे जो यह सुनिश्चित करे कि डीएसी द्वारा अनुमानित माह–वार तथा राज्य–वार उर्वरकों की मांग के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का अग्रिम आंकलन हो पाए तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था का समन्वय करे।

4-6 vko';drk ls vf/kd Mh,ih[25] dk vk;kr djus dk dkj.k jkt lgk;rk dk vuqfpr Hkqxrku

एनबीएस के अधीन राजसहायता भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार, ज़िला/राज्यों में उर्वरकों की प्राप्ति के आधार पर 85 प्रतिशत राजसहायता पहले दी जाती है। शेष 15 प्रतिशत राजसहायता का दावा उर्वरक कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित प्रोफार्मा 'डी' में दी गई सूचना के आधार पर किया जाता है जो कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होता है।

डीओएफ आईएमसी की अनुशंसाओं के आधार पर प्रतिवर्ष एनबीएस दरें घोषित करता है, जो पूरे वर्ष के लिए लागू रहती हैं। 2011–12 के लिए डीएपी की एनबीएस दर ₹19763 पीएमटी थी। आईएमसी ने 17 जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में 2012–13 के लिए डीएपी की राजसहायता को घटाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात् आईएमसी ने 7 फरवरी 2012 को हुई बैठक में डीएपी के लिए ₹14350 पीएमटी राजसहायता की अनुशंसा की। इन दरों को 29 मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया।

डीओएफ द्वारा दिनाँक 8 फरवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- फरवरी 2012 और मार्च 2012 के दौरान यूरिया के अलावा आने वाले डीएपी (एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट), एनपीके (सभी ग्रेड) और एमओपी उर्वरकों को अगले आदेश आने तक पत्तन से किसी भी राज्य को निर्गत नहीं किया जाएगा।
- 1 फरवरी 2012 (31 जनवरी 2012 को अंतिम स्टॉक) तक पहले से उपलब्ध उर्वरकों को फरवरी तथा मार्च के महीनों के दौरान ही निर्गत किया जाएगा।
- यदि फरवरी 2012 माह के लिए आपूर्ति योजना को महीने के दौरान आयातों को सम्मिलित करते हुए दर्शाया गया है तो फरवरी 2012 माह के दौरान आपूर्ति योजना आयात के अनुपात में कम रहेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2012 माह के लिए डीएपी के एमएसपी के अनुसार, जिसे 25 जनवरी 2012 को विभिन्न उर्वरक कम्पनियों के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारों को जारी किया गया था, डीएपी के लिए महीने की आवश्यकता 4.08 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी जिसकी तुलना में माह के लिए स्वदेशी और आयातित आपूर्तियां क्रमशः 5.30 एलएमटी और 8.79 एलएमटी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीओएफ ने अपनी 8 फरवरी 2012 की अधिसूचना में पत्तनों से उर्वरकों के निर्गमन रोकने के निर्णय के लिए कोई कारण वर्णित नहीं किये थे।

हालाँकि 28 फरवरी 2012 को डीओएफ ने अपने लिए गए निर्णय को बदल दिया तथा तत्कालीन संयुक्त सचिव ने टिप्पणी की कि ''चर्चा के अनुसार फरवरी/मार्च के दौरान उर्वरकों के निर्गत को रोकने के आदेश पत्तनों की व्यस्तता के कारण दिए गए थे। अब व्यस्तता की कोई भी सूचना नहीं है, इसलिए अब हम एक नया आदेश जारी कर के फरवरी 2012 में आ चुके उर्वरकों को निर्गत कर सकते हैं''। सचिव, डीओएफ ने इसे 28 फरवरी 2012 को अनुमोदित किया। हालाँकि, पोतों की व्यस्तता होने/न होने के संबंध में दस्तावेज नहीं पाए गए।

[25] एमएपी/टीएसपी/डीएपी लाईट सहित

फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 महीनों के लिए डीएपी की वास्तविक आवश्यकता, राज्यों में प्रारंभिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, विक्रय मात्रा का विवरण निम्न है:

rkfydk 9 ½ Qjojh rFkk ekpZ 2012 esa Mh,ih dh vko';drk ,oa miyC/krk

¼vkadMs ,y,eVh esa½

ekg@o"kZ ¼,½	vko';drk ¼ch½	jkT;ksa esa ikjfEHkd LVkWd ¼lh½	jkT;ksa }kjk izkfIr ¼okLrfod½			jkT;ksa esa miyC/krk ¼th= lh+,Q½	fcØh[26] ¼,p½	vfUre LVkWd ¼vkbZ=,p& th½
			Lons'kh ¼Mh½	vk;kfrr ¼b½	;ksx ¼,Q= Mh+b½			
Qjojh 2012	4.08	8.77	4.41	8.72	13.13	21.90	11.85	10.05
ekpZ 2012	2.99	10.05	3.76	4.76	8.52	18.57	14.57	4.00

इस संदर्भ में निम्नानुसार को पाया गया:

- फरवरी 2012 के लिए डीएपी की आवश्यकता 4.08 एलएमटी थी। इसके विरूद्ध, 1 फरवरी 2012 को 8.77 एलएमटी, डीएपी क्षेत्रों/राज्यों में पहले से ही उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त 4. 41 एलएमटी स्वदेशी डीएपी की इसी माह के दौरान प्राप्ति हुई। इस प्रकार, फरवरी 2012 के लिए डीओएफ के पास 13.18 एलएमटी डीएपी थी। इसलिए, राज्यों को फरवरी 2012 के दौरान 8.72 एलएमटी आयातित डीएपी की आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

- इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 के वास्तविक आँकड़ों के विश्लेषण ने भी यही दर्शाया। 2.99 एलएमटी, डीएपी की मासिक आवश्यकता, जो कि 3.66 एलएमटी, के स्वदेशी उत्पादन से पूरी हो सकती थी, के बावजूद आयातित डीएपी की 4.76 एलएमटी को राज्यों को दिया गया।

- डीओएफ में फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के दौरान आने वाले आयातित डीएपी (साथ ही साथ अन्य पीएण्डके उर्वरक) को निर्गत न करने के 8 फरवरी 2012 को लिए गए निर्णय के संदर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध मात्रा, स्वदेशी डीएपी की आपूर्ति आदि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त निर्णय की तार्किकता यह प्रकट करती है कि मासिक आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन तथा पिछले महीनों के बकाया शेष से की जा सकती थी। हालाँकि, 7 फरवरी 2012 को 2012–13 के लिए डीएपी की राजसहायता दर में कमी किए जाने के बाद 28 फरवरी 2012 को उक्त निर्णय के बदलाव ने उर्वरक कम्पनियों को आयातित उर्वरकों को जिला स्तर पर निर्गत करने और इस पर 2011–12 की उच्च दरों पर राजसहायता की माँग करने हेतू समर्थ बनाया। यदि पहले लिया गया निर्णय निरस्त नहीं किया गया होता, तो उर्वरक कम्पनियों को मार्च 2012 से पहले आयात किए गए डीएपी पर 2011–12 के लिए निर्धारित ₹19763 पीएमटी की उच्च दरों के बजाय 2012–13 के लिए निर्धारित की गई ₹14350 पीएमटी की कम दरों पर राजसहायता मिलती।

[26] यह प्रथम बिन्दु पर बिक्री (यानि कि थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता आदि को बिक्री) को दर्शाता है न कि अन्तिम उपभोक्ता को बिक्री

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 8 फरवरी 2012 के आदेश में जैसाकि डीओएफ के 28 फरवरी 2012 के नोट में दर्शाया गया था, यह उल्लेख नहीं करता कि पोतों की व्यस्तता के कारण प्रतिबन्धों को लगाया गया था; लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए किसी भी अभिलेख में यह नहीं पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान कोई भी पत्तन व्यस्तता थी और फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के लिए डीएपी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आयातित डीएपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी।

फिर भी उर्वरक कम्पनियाँ आयातित डीएपी को जिला मुख्यालयों को निर्गत करने में समर्थ रहीं एवं 2011–12 की उच्च दरों पर राजसहायता की माँग कर सकी। परिणामस्वरूप, डीओएफ को आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा जिसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, पर ₹653 करोड़[27] की अतिरिक्त राजसहायता वहन करनी पड़ी।

डीओएफ ने (जुलाई 2014 में) अपने उत्तर में कहा कि जिन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, उनका उल्लेख संबंधित फाइल में किया गया था और उसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य टिप्पणी नहीं थी। डीओएफ ने आगे (अक्तूबर 2014) उत्तर दिया कि पीएण्डके उर्वरकों का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत था और कोई भी कम्पनी अपनी व्यवसायिक आवश्यकता के आधार पर इन उर्वरकों की कितनी भी मात्रा आयात कर सकती थी। पीएण्डके उर्वरकों का आयात रातों–रात नहीं हुआ। क्रय की योजना बनाने एवं वस्तु को देश में लाने में महीनों लगे और दीर्घ समयावधि अनुबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक आयात भी थे, जिन्हें कम्पनियाँ रोक नहीं सकती थी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में तथा इस तथ्य के आधार पर कि आयातों के लिये एनबीएस योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था, कम्पनियाँ आयातों को नहीं रोक सकती थी तथा किसी आयातित वस्तु को अपरिवहनीय घोषित नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, एनबीएस नीति के अन्तर्गत केवल 20 प्रतिशत पीएण्डके उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत थे जिनका परिवहन नियमन होना था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2012–13 के लिए राजसहायता दरें आयातकों द्वारा उर्वरकों को निर्गत किए जाने के बाद 29 मार्च 2012 को निर्धारित की गई थी। डीओएफ ने समापन सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि उर्वरकों का परिचालन आवश्यकतानुसार डीएसी तथा राज्य कृषि विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्धारित किया गया।

डीओएफ के उत्तरों को निम्न तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए:

- 8 फरवरी 2012 के आदेश में फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 के दौरान प्राप्त आयातित डीएपी को निर्गत न करने के किसी तर्क का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त डीओएफ का दावा कि उक्त आदेश पोत व्यस्तता के कारण तथा निरस्त व्यस्तता खत्म होने के कारण जारी किए गए थे, के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं था।

- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने न तो आयातों के समय और न ही आयातित वस्तुओं की मात्रा पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी पिछले निर्णय के निरस्तीकरण पर आधारित था, इस तथ्य के बावजूद कि आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉकों तथा स्वदेशी उत्पादन से की जा सकती थी।

---

[27] सभी डीएपी वर्गों के उर्वरकों की राजसहायता दरों के सबसे कम अन्तर के आधार पर गणना की गई:
कुल अतिरिक्त मात्रा=फरवरी 2012 में 8.72 एलएमटी तथा मार्च 2012 में 4.76 एलएमटी (कुल 13.48 एलएमटी),
राजसहायता दरों (टीएसपी) में न्यूनतम अन्तर=₹14875 पीएमटी–₹10030 पीएमटी=₹4845 पीएमटी
अतिरिक्त भार=कुल अतिरिक्त मात्रा X राजसहायता दरों में अन्तर=₹653 करोड़

- इसके अतिरिक्त, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि उर्वरक उद्योग को भली भाँति ज्ञात था कि राजसहायता दरें अप्रैल 2012 (2012–13 के लिए) से कम होने वाली थी तथा उर्वरक कम्पनियों ने अपने समस्त स्टॉक फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में ही निकाल कर, 2011–12 की विद्यमान उच्च दरों का लाभ उठाया।
- जनवरी–मार्च 2011 की तुलना में जनवरी–मार्च 2012 दौरान डीएपी की आपूर्ति के आँकड़ों के विश्लेषण ने दर्शाया कि जनवरी–मार्च 2011 के दौरान राज्यों/ज़िलों को मासिक निर्गत/आपूर्तियाँ 2.07 एलएमटी, 1.98 एलएमटी तथा 1.25 एलएमटी के विपरीत क्रमशः जनवरी–मार्च 2012 में 4.72 एलएमटी, 8.72 एलएमटी तथा 4.76 एलएमटी थी। यह गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में निर्गत में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो लेखापरीक्षा के तर्क का समर्थन करता है कि उच्च दरों पर राजसहायता के दावों के लिए उर्वरक कम्पनियों द्वारा अधिक दर पर निर्गत किए गए।

इस प्रकार से डीओएफ के अपने प्रारम्भिक निर्णय को निरस्त करने से उर्वरक कम्पनियों को आयातित उर्वरक की आपूर्ति बनाए रखने का तथा उच्च दरों पर राजसहायता की माँग करने का अवसर मिल गया, जिसके कारण भारत सरकार पर ₹653 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य राजसहायता का भार पड़ा।

4-7 ekpZ 2012 ds nkSjku vko';drk dk vkdyu fd, fcuk ,l,lih dh fcØh

एनबीएस नीति के अन्तर्गत एसएसपी की भुगतान प्रक्रिया के अनुसार, एसएसपी पर राजसहायता प्रथम बिंदु बिक्री[28] के आधार पर निर्गत की जाती है। तदनुसार, योग्य इकाइयाँ को एसएसपी के सन्दर्भ में सूचना के आधार पर 85 प्रतिशत 'ऑन अकाउंट' राजसहायता भुगतान की माँग की अनुमति दी जाती है जो कि कम्पनी के प्राधिकृत आधिकारी तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होती है। शेष भुगतान को डीओएफ, राज्य सरकार द्वारा जारी बिक्री के प्रमाणपत्रों के आधार पर निर्धारित प्रोफोर्मा 'बी' में भरकर जारी करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीति के अन्तर्गत एसएसपी के लिए किसी भी मासिक आपूर्ति योजना को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। परिणामस्वरूप, एसएसपी की गतिविधि की निगरानी डीओएफ द्वारा नहीं की गई।

मार्च 2012 के दौरान एसएसपी की बिक्री जनवरी 2012 तथा फरवरी 2012 की बिक्री से असामान्य रूप से अधिक थी। जनवरी 2012, फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में बिक्री क्रमशः 2.99 एलएमटी, 3.54 एलएमटी और 6.34 एलएमटी थी। जनवरी 2011, फरवरी 2011 और मार्च 2011 से संबंधित आँकड़े क्रमशः 3.36 एलएमटी, 2.49 एलएमटी तथा 1.69 एलएमटी थी। इस प्रकार फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में एसएसपी की बिक्री पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में अधिक थी। यद्यपि फरवरी 2012 में बढ़त ठीक–ठाक (40 प्रतिशत) ही थी, मार्च 2012 में बिक्री मार्च 2011 की बिक्री से 4.65 एलएमटी अधिक थी, अर्थात मार्च 2011 की बिक्री की तुलना में 275 प्रतिशत वृद्धि।

उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रख कर एनबीएस नीति के अन्तर्गत एसएसपी की भुगतान प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए डीओएफ ने (जुलाई 2012) निर्णय किया कि:

- मार्च 2012 के लिए सभी एसएसपी इकाइयों को राजसहायता माँगों का 85 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत 'ऑन अकाउंट' भुगतान के रूप किया जाएगा।

---

[28] अन्य पीएण्डके उर्वरकों के लिए, भुगतान प्राप्ति पर आधारित है।

- सभी एसएसपी उत्पादक इकाइयों, जिन्होंने 2011–12 की आखिरी तिमाही के किसी भी माह के दौरान स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया है, से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।
- अतिशय मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा विशिष्ट निरीक्षण कराया जायेगा जैसे कि इकाइयाँ जिन्होंने अपनी स्थापित क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया तथा वे इकाइयाँ जिनकी मार्च 2012 की बिक्री में अधिक विभिन्नता थी।

तदनुसार, तीसरे पक्ष द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर, डीओएफ ने (मार्च 2013) में, 16 एसएसपी कम्पनियों को छोड़कर मार्च 2012 के लिए बाकी सभी कम्पनियों को प्रोफार्मा 'बी' की प्राप्ति की शर्त पर शेष 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर दी। इन 16 कम्पनियों में अधिकतम पिछले पाँच माह के मुकाबले मार्च 2012 माह की बिक्री भी अधिक थी तथा स्थापित क्षमता के मुकाबले 2011–12 की अंतिम तिमाही के दौरान एक या एक से अधिक माह में उत्पादन भी अधिक था। उक्त 16 कम्पनियों के सन्दर्भ में, अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 की छमाही के लिए उत्पादन तथा बिक्री के दावों की पुष्टि के लिए डीओएफ द्वारा नियुक्त किए गए तीसरे पक्ष द्वारा पुनः निरीक्षण किए गए। हालाँकि, उक्त निरीक्षण में कथित रूप से कोई भी अनियमितता नहीं मिली इसलिए, एक कम्पनी को छोड़कर, जिसकी 31 अक्तूबर 2014 तक जाँच चल रही थी, 15 कम्पनियों को शेष भुगतान कर दिया गया।

इस सन्दर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- चूँकि एसएसपी के लिए कोई भी मासिक आपूर्ति योजनाएँ नहीं बनाई गई थी इसलिए एसएसपी की क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया जा सका। अतः उर्वरक निर्माण कम्पनियों पर एसएसपी के उत्पादन, आपूर्ति एवं बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
- एसएसपी के उत्पादन एवं बिक्री के संदर्भ में डीओएफ ने अपनी जाँच उर्वरक कम्पनियों के दावों के सत्यापन तक सीमित रखी, परन्तु वर्ष की उस अवधि के दौरान एसएसपी की आवश्यकता में वास्तविक रूप से वृद्धि के बारे में जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किये।

डीओएफ ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि कैबिनेट ने 2012–13 के लिए एनबीएस दरों को 1 मार्च 2012 को अनुमोदित किया तथा 2012–13 के लिए दरों को वांछित अनुमोदन के पश्चात् 29 मार्च 2012 को विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया। चूँकि 2012–13 के लिए एनबीएस दरों की अधिसूचना प्रक्रिया में थी, इसलिए किसी भी कम्पनी से इस संदर्भ में सम्पर्क नहीं किया गया। एनबीएस नीति के कार्यान्वयन के दौरान, 16 एसएसपी इकाइयों के संदर्भ में बिक्री अभिलेखों में यह पाया गया कि मार्च 2012 माह के दौरान बिक्री की गई एसएसपी की मात्रा पिछले महीनों से अधिक थी। चूँकि बिक्रियों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा 'बी' के अन्तर्गत किया जाता है, इसलिए किसी विशेष माह में बिक्री की तुलना पिछले वर्ष के उसी माह की बिक्री से करने का कोई अवसर नहीं था। निरीक्षण दल के निष्कर्षों की जाँच के आधार पर, मैसर्स मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड (एमएफएल) के अतिरिक्त सभी 16 इकाइयों की रोकी गई 50 प्रतिशत राजसहायता निर्गत कर दी गई। डीओएफ ने आगे (अक्तूबर 2014) कहा कि चूँकि एसएसपी साधारणतः एक स्थानीय उर्वरक है इसलिए उसके लिए कोई आपूर्ति योजना नहीं बनाई गई थी। डीएसी ने भी एसएसपी की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था। विभाग ने भी राजसहायता दावों के निरीक्षण के लिए जो उपयुक्त था, वही किया। एसएसपी उत्पादन एवं बिक्री के सत्यापन में तथा तत्पश्चात् 15 एसएसपी इकाइयों के संदर्भ में राजसहायता को निर्गत करने में डेढ़ वर्ष से अधिक समय लगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मामलों में राजसहायता को देने में पर्याप्त सावधानी ली गई और 15 इकाइयों को राजसहायता विस्तृत सत्यापन तथा उचित सावधानी के पश्चात दी गई। एसएसपी एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है जो कि विभिन्न उत्पादन क्षमता के साथ देश भर में फैली लगभग 100 इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस उत्पाद पर कोई भी प्राथमिक या

द्वितीयक मालभाड़ा दिया नहीं गया था। इन इकाइयों के उत्पादक अपने उत्पाद को आसपास के क्षेत्रों में ही बेचते हैं, क्योंकि इसका उपभोग निकट के क्षेत्रों में ही होता है। क्योंकि इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है जो आसपास के क्षेत्रों की माँग का निपटान करती है तथा उन्हें मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा था इसलिए एसएसपी के नियमन के लिए आपूर्ति योजना बनाना वांछनीय नहीं था, क्योंकि बिक्री का सत्यापन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था।

डीओएफ ने (नवम्बर 2014) समापन सम्मेलन के दौरान कहा किः

एसएसपी के लिए गतिविधि योजना बनाना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह उद्योग एक स्थानीय उद्योग है तथा बहुत सी कम्पनियाँ कार्यवाही पूंजी समस्याओं, देश में सीमित बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता आदि के कारण इस इकाइयों के लिए तय की गई न्यूनतम क्षमता को प्राप्त करने में संघर्ष कर रही है। कई छोटी एसएसपी इकाइयाँ अपने उत्पाद को बेचने के लिए बड़ी कम्पनियों के साथ व्यवसायिक गठबंधन करती है। इन परिस्थितियों में तथा एसएसपी इकाइयों की अधिक संख्या (वर्तमान में 98) को देखते हुए, इसकी 20 प्रतिशत गतिविधि को नियमित करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की गतिविधि को नियंत्रित करने का उद्देश्य उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा एसएसपी के सन्दर्भ में उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है क्योंकि एसएसपी इकाइयाँ पूरे देश में स्थित है।

पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अतिरिक्त) पर 'ऑन अकाउंट' राजसहायता का भुगतान जिले में प्राप्त उर्वरकों के आधार पर किया गया था, जबकि एसएसपी के सन्दर्भ में 'ऑन अकाउंट' राजसहायता का भुगतान प्रथम बिन्दु बिक्री के आधार पर किया गया था। विभाग ने शेष राजसहायता के भुगतान को एम–एफएमएस में खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री की पुष्टि से जोड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उर्वरक राजसहायता किसानों तक पहुँचाई गई थी। हालाँकि, डीएसी से एसएसपी की आवश्यकता का आंकलन करने का निवेदन किया जा रहा है जैसा कि अन्य उर्वरकों के लिए किया जाता है। डीओएफ ने यह भी सूचित किया कि नवंबर 2012 से विक्रेताओं द्वारा विक्रय को प्रमाणित किये जाने के बाद ही भुगतान किये गए। डीओएफ ने फिर सूचित किया (मार्च 2015) कि एसएसपी के परिचालन के लिये कोई मालभाड़ा राजसहायता नहीं दी जाती है। इसलिये, इन उत्पादों के लिये कोई आपूर्ति योजना तैयार नहीं की जाती है।

डीओएफ के उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश के देखा जाना चाहिए कि :

- एसएसपी के लिए एक स्थायी मासिक आपूर्ति योजना के अभाव में, एसएसपी के उत्पादन और विक्रय के लिए उर्वरक निर्माता कम्पनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
- वर्ष 2012–13 के लिए एनबीएस दरों को कैबिनेट ने पहले ही 1 मार्च 2012 को अनुमोदित कर दिया था, जो 2011–12 की विद्यमान एनबीएस दरों से ₹1686 प्रति टन कम थीं, इसलिए उर्वरक उद्योग में यह एक ज्ञात तथ्य था कि एनबीएस दरें कम होते जा रही थी जिससे वह उर्वरक कम्पनियों के लिए मार्च 2012 में बढ़े हुए विक्रय का कृत्रिम रूप से दावा करने के लिए प्रलोभक बन गया था।
- डीओएफ ने डीएसी से उस अवधि के दौरान वास्तविक क्षेत्र की आवश्यकता के अस्तित्व को सत्यापित करने के कोई प्रयास नहीं किये और अपनी जाँच उर्वरक कम्पनियों के उत्पादन और विक्रय के सत्यापन तक ही सीमित कर दिया, जो पूर्ण स्थिति की सही तस्वीर को प्रकाश में नहीं लाते।

- यह सही है कि एसएसपी को कोई प्राथमिक या द्वितीयक मालभाड़ा देय नहीं है, लेकिन एसएसपी पोषक तत्व आधारित राजसहायता का पात्र है। इसलिए डीएसी का सहयोग लेते हुए डीओएफ द्वारा एसएसपी की आपूर्ति पर कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है।

vuq'kalk 8 % एसएसपी के लिए एमएसपी होने की आवश्यकता और उसके लिए रूपरेखाओं को डीएसी के निकट सहयोग के साथ डीओएफ द्वारा समाधान निकाला जाना चाहिए।